


दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठीड अधिवक्ता वादी मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या की ओर से श्री दशरथसिंह राठीड अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 19 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -

1. मौजा ज्याणी तहसील जायल के खाता संख्या 79 खसरा नंबर 281, 278, 280 में दर्ज खातेदार नन्दसिंह के स्थान पर वादी सोपालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 कम्श गोपालसिंह, वजरंगसिंह, दशरथसिंह, किस्मतकंवर, पिन्दुकंवर, योगेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह(ना.वा), रतनकंवर, भंवरसिंह, दातारसिंह, रामसिंह, गोविन्दसिंह, निशाकंवर, कुलदीपसिंह (ना.वा), निरजकंवर (ना.वा), देवसिंह, विष्णुकंवर, अचरजकंवर को सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



21/10/2021
(रवीन्द्र कुमार कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज -

सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक - की अदा करें। वक्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/10/2021 को जारी की गई।

वावत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व मारह -

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत् इजराज हुकमनामा			वावत् हुराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

21/10/2021
(रवीन्द्र कुमार कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)